

राजस्थान-सरकार
विहित गृप-4 & विभाग

क्रमांक: फ. 288 विहित/गृप-4/90

जयपुर, दिनांक 29/11/1970

आज्ञा
=====

राजस्थान मुद्रांक नियम 1955 के नियम 2 (जे) संपादित नियम 50 के अंतर्गत जमीन बाजारों की बाजार दर निर्धारित किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय समिति का कार से गठित किये जाने को राज्यपाल महोदय को स्वीकृति स्तद्वारा प्रदान की जाती है।

- | | | | |
|---|---|----------|-------|
| 1 | संबंधित जिलाधीश | राजस्थान | जयपुर |
| 2 | संबंधित क्षेत्रीय विधायक (अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर) | राजस्थान | जयपुर |
| 3 | संबंधित पंचायत समिति के प्रधान | राजस्थान | जयपुर |
| 4 | सचिव, नगर विकास न्यास तथा जहाँ पर नगर विकास न्यास नहीं हो, नगर पालिका का प्रतिनिधि तथा जयपुर के लिए सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण | राजस्थान | जयपुर |
| 5 | संबंधित उप महा निरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग | राजस्थान | जयपुर |
| 6 | जिला पंजीयक या ए.डी.एम. (स्टाम्प) जहाँ पर जिलाधीश से अलग हो व अन्य स्थानों पर सब रजिस्ट्रार मुख्यालय | राजस्थान | जयपुर |

उपर्युक्त समिति विभिन्न तहसील क्षेत्रों की जमीन की बाजार दरों का निर्धारण करेगी।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर

डी. एन. टिग्गा
आयन उप सचिव

दिनांक

* * *

परिपत्र संख्या 11/2002

राजस्थान सरकार

**कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राज., "कर - भवन" अजमेर**

क्रमांक एफ. 7 (354) जन/2002/12698-13136

दिनांक 7.9.2002

परिपत्र - 11

दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर के निर्धारण हेतु भूमि की प्रचलित बाजार कीमत तय करने के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम - 1955 के नियम 2 के उपनियम (I) के खण्ड (ज) के तहत किया जाता है। राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.2 (8) वित्त गुप -4/90 दिनांक 7.3.96 के द्वारा उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जिला समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

- | | |
|--|---------|
| 1. संबंधित जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2. संबंधित क्षेत्रीय विधायक (अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर) | सदस्य |

178

पंजीयन एवं मुद्रांक विधि निर्देशिका

- | | |
|--|------------|
| 3. संबंधित पंचायत समिति के प्रधान | सदस्य |
| 4. सचिव, नगर विकास न्यास तथा जहाँ पर नगर विकास न्यास नहीं हो नगर पालिका का प्रतिनिधि तथा जयपुर के लिए सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 5. संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मु.) | सदस्य |
| 6. अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर जिले को छोड़कर) तथा जयपुर में अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) तथा जहाँ अतिरिक्त कलक्टर नहीं हो, वहाँ मुख्यालय का उप पंजीयक | सदस्य सचिव |
| 7. संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक | सदस्य |

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय जिला यथा नागौर एवं हनुमानगढ़ में जिला कलक्टर द्वारा अपने स्तर से ही जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन करके गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर दिया गया है, जो कतई विधि सम्मत नहीं है। अतः राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार गठित जिला स्तरीय समिति में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं करें।

महानिरीक्षक



राजस्थान सरकार

वित्त विभाग (कर अनुभाग)

क्रमांक : प.-2(8)वित्त/गुप-4/90

आज्ञा

जयपुर, दिनांक-7.3.96

राजस्थान मुद्रांक नियम 1955 के नियम 2(जे) सपठित नियम 59 (बो) के अन्तर्गत जमीन जायदादों की बाजार दर निर्धारित किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना सं. प. 2(8) वित्त/गुप-4/90 जयपुर दिनांक 23.6.1995 को अतिक्रमण कर निम्नानुसार गठित किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:

1. संबंधित जिला कलेक्टर अध्यक्ष
2. संबंधित क्षेत्रीय विधायक (अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा को पूर्वानुमति प्राप्त होने पर) सदस्य
3. संबंधित पंचायत समिति के प्रधान सदस्य
4. सचिव, नगर विकास न्यास तथा जहां पर नगर विकास न्यास नहीं हो नगर पालिका का प्रतिनिधि तथा जयपुर के लिए संबंधित जिला प्रशासक सदस्य
5. संबंधित जिला कलेक्टर, जिला एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) सदस्य

[125]

6. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जयपुर जिले को छोड़कर) तथा जयपुर के अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) तथा जहां अतिरिक्त कलेक्टर नहीं हों, वहां मुख्यालय का उप पंजीयक

7. संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक

उपरोक्त समिति विभिन्न तहसील क्षेत्रों की जमीन की बाजार दरों का निर्धारण करेगी।

सदस्य सचिव

सदस्य

सहाय उप सचिव



राजस्थान सरकार